प्लेट

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 685/ ||/2013 विरूद्व आदेश दिनांक 06–02–2012– पारित – अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला टीकमगढ़ – प्रकरण कमांक 98/2010–11 अपील

मनोज कुमार पुत्र रामनाथ शर्मा
ग्राम प्रकाशपुरा तहसील जतारा
जिला टीकमगढ़ म0प्र. ——आवेदक

विरूध्द

1– देवेन्द्र कुमार 2– प्रशॉक
दोनों पुत्रगण बिनोदकुमार शर्मा
3– श्रीमती हीरादेवी उर्फ हरीदेवी शर्मा
पत्नि स्व. श्री बिनोदकुमार शर्मा
4– सुश्री ज्योति 5– सुश्री श्वाति
पुत्रियां श्री बिनोदकुमार शर्मा
6– श्रीमती बेनीवाई पत्नि स्व.बुद्वे काछी
7– पूरनमल 8– सुश्री कमला
9– सुश्री फूलवती तीनों पुत्र पुत्री स्व.बुद्वे
10– सेवक पुत्र गुन्दे काछी
11– नत्थू 12– मुरली पुत्रगण तुलसी काछी
सभी निवासी जतारा तहसील जतारा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़

अनावेदक क–1 से 5 के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा

शेष अनावेदकगण के विरूद्व एकपक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 11–4– 2014 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 98/10–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 06–02–2012 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 (आगे जिसे संहिता अंकित किया है) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क-1 ने तहसीलदार जतारा के समक्ष न्यायालय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश , टीकमगढ़ व्दारा सिविल अपील कमांक 70 ए/2009 में पारित आदेश दिनांक 04 फरवरी, 2011 की प्रतिलिपि के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया कस्वा जतारा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1095, 1096, 1097, 1111, 1211, 1303/2 में स्वत्व का निराकरण हुआ है इसलिये स्वत्वानुसार भूमि का बटवारा किया जावे। तहसीलदार जतारा ने प्रकरण कमांक 04 अ 27/10-11 पंजीबद्व किया तथा हितबद्व पक्षकारों के बीच आदेश दिनांक 11-04-11 से फर्द बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, जतारा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 98/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 06-02-2012 से तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण उभय पक्ष को श्रवण उपरांत पुर्ननिर्णय हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 18-1-13 से निगरानी इस आधार पर निरस्त की गई कि संहिता की धारा 50 में हुये सॅशोधन दिनांक 30.12.2011 के अनुसार निगरानी श्रवण करने के अधिकार नहीं है। इसी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 98/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 06-02-2012 के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ अनावेदकगण की ओर से तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी. के आदेश दिनांक 6-2-12 के विरूद्व निगरानी दिनांक 18-2-13 को प्रस्तुत होने से अवधिवाह्य है इसलिये निरस्त की जावे। आवेदक के अभिभाषक ने ालत न्यायालय में व्यतीत समय मुजरा करने की मांग करते हुये अवधि वेधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित ा। विचार योग्य बिन्दु यह है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश

दिनांक 6–2–12 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 18–2–13 को प्रस्तुत निगरानी अवधिवाह्य है ?

1. परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 एंव भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)–धारा 47 – सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार–रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।
2. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)–धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 – वकील व्दारा की गई त्रृटि – पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता। गलत न्यायालय में निगरानी की गई – गलत न्यायालय में व्यतीत समय संगणना में कम किया जावेगा।

उपरोक्त कारणों से विलम्ब क्षमा योग्य है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार व्दारा न्यायालय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश , टीकमगढ़ व्दारा सिविल अपील कमांक 70 ए/2009 में पारित आदेश दिनांक 04 फरवरी, 2011 के पालन में बटवारा स्वयं अनावेदक के आवेदन पर किया गया है , जब मूल दावेदार अनावेदक है तो उसके व्दारा यह कहना , कि तहसीलदार ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया एंव फर्द पर सहमति नहीं ली, न्यायसंगत नहीं है अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में आये वास्तविक तथ्यों को अनदेखा करके प्रकरण रिमान्ड किया है।

भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)–धारा 44 सहपठित 178 – व्यवहार वाद में हुये निर्णय के पालन में तहसीलदार ने बटवारा किया, ऐसे आदेश के विरूद्व अपील राजस्व न्यायालय में न होकर व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठतम् न्यायालय में होगी।

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने माननीय न्यायालय प्रथम अपर ज़िला न्यायाधीश , टीकमगढ़ व्दारा सिविल अपील कमांक 70 ए/2009 में पारित आदेश दिनांक 04 फरवरी, 2011 की अनदेखी की है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी जतारा के आदेश दिनांक 6–2–12 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने तहसीलदार के बटवारा आदेश दिनांक 11–4–11 को इस आधार पर निरस्त किया है कि सहखातेदारों को बटवारा फर्द की जानकारी

नहीं दी एंव फर्द का प्रकाश नहीं कराया गया। तहसीलदार जतारा के आदेश दि. 11—4—11 के अवलोकन पर आदेश के पद 5 का अंश उद्वरण इस प्रकार है " डिकी के पालन में सभी खातेदारों को स्वत्व अनसार भूमि देवेन्द्र प्रशांत शर्मा को भूमि 0.098 है0 मनोज तनय रामनाथ शर्मा को 0.107 हैक्टर शेष खातेदार तुलसी के वारिसान नाथूराम, मुरलीधर को हिस्सा अनुसार 0.078 है. एंव हलके के वारिसान करन,हरिकिशन तनय हलके काछी को 0.078 है. भूमि दी गई है बनमाली काछी के वारिसान अपना हक हिस्सा पूर्व बटवारे में प्राप्त कर विकय कर चुके है उक्त फर्द का प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन वाद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। "

प्रथमतः बटवारा का दावाकर्ता अनावेदक है जिसे तहसील न्यायालय की कार्यवाही का बोध रहा है। फर्द तैयार करने मौके पर पटवारी गया। प्रकरण में संलग्न पंचनामा अनुसार दिनांक 25.3.11 को मौके पर आवेदक एंव सहखातेदारों के समक्ष एंव न्यायालय व्दारा घोषित स्वत्वानुसार फर्द बनाई गई। ग्रामीणों के एंव अन्य खातेदारों के तदाशय के हस्ताक्षर लिये गये। यदि बटवारे का मूल दावाकर्ता फर्द पर, पंचनामे पर हस्ताक्षर नहीं करता है, यह नहीं माना जा सकता कि उसे फर्द प्रकाशन की जानकारी नहीं हुई।

> भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)—धारा 178 — फर्दो का प्रकाशन संहिता में दिये गये बटवारा नियमों अनुसार किया गया — फर्द तैयार की गई — आपत्तियों हेतु पर्याप्त समय दिया गया — समयावधि में आपत्ति नहीं की गई —पुनः अवसर दिये जाने हेतु मामला रिमान्ड नहीं किया जा सकता।

अनुविभागीय अधिकारी, जतारा ने उक्त तथ्यों पर ध्यान न देने में भूल की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, जतारा व्दारा प्रकरण कमांक 98/2010—11 अपील में पारित आदेश दिनांक 06—02—2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः तहसीलदार जतारा व्दारा प्रकरण कमांक 54 अ—27/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 11—4—2011 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर